

प्रेस नोट दिनांक 30.05.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त को लालगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार – पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध सतत अभियान-

हत्या का प्रयास, गाली गलौज व धमकी देने के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त के घर के पास से गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक- 28.05.2025 को वादिनी की पुत्री व पुत्र के बच्चों के मध्य विवाद हो गया था। इतने में वादिनी के पुत्र संतोष सरोज द्वारा आवेश में आकर घर में रखे लोहे की राड से जान से मारने की नियत से वादिनी की पुत्री के सिर पर वार कर दिया एवं गाली-गलौज करते हुए मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गई। जिसके संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 199/2025 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह कां० संजय कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 199/2025 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त 1. सन्तोष सरोज पुत्र स्व0 मुनेसवर प्रसाद नि०ग्राम माधव राम का पुरवा पूरे तिलकराम, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त के घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सन्तोष सरोज पुत्र स्व0 मुनेसवर प्रसाद नि०ग्राम माधव राम का पुरवा पूरे तिलकराम, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह कां० संजय कुमार थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज के उ०नि० विवेक कुमार यादव मय हमराह हे०का० जाहिद खान द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर फो०वाद संख्या 1546/22 मु०नं० 817/20 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्तों, 01. मो० अलताज पुत्र मो० जलील 02. मो० इकबाल पुत्र अब्दुल रहमान निवासीगण ग्राम चौबे का पुरवा लकुरी थाना लालगंज, प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. मो० अलताज पुत्र मो० जलील

02. मो० इकबाल पुत्र अब्दुल रहमान निवासीगण ग्राम चौबे का पुरवा लकुरी थाना लालगंज, प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ०नि० विवेक कुमार यादव मय हमराह हे०का० जाहिद खान थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

दहेज हत्या प्रकरण में नामजद 02 अभियुक्त/अभियुक्ता को कोतवाली नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार – पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में कार्रवाई-

दहेज हत्या के प्रकरण से संबंधित 01 अभियुक्त/ 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूरे केशव गायघाट में घर के पास से किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

वादी द्वारा थाना कोतवाली नगर पर तहरीर दी गई थी कि उसकी पुत्री की कोर्ट मैरिज नवम्बर 2023 में ननके सिंह निवासी ग्राम पूरे केशव गायघाट थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ से हुई थी । विवाह उपरांत पति ननके सिंह सहित ससुराल पक्ष के अन्य सदस्य लगातार दहेज में मोटरसाइकिल व रुपयों की मांग को लेकर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहे । दिनांक 22.05.2025 को प्रार्थी की पुत्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी । जिसकी सूचना ससुराल पक्ष द्वारा न देकर गुपचुप अंतिम संस्कार कर दिया गया । वादी को संदेह है कि दहेज न मिलने पर उसकी पुत्री की साजिशन हत्या कर दी गई है । जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 229/2025 धारा 80/85 बीएनएस व 3/4 DP एक्ट बनाम 08 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैस के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक श्री जयचन्द्र भारती के नेतृत्व में उ०नि० प्रदीप कुमार मय हमराह का० अतुल सिंह व म०का० कीर्ति सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी, चेकिंग संदिग्ध

व्यक्ति/ वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 229/2025 धारा 80/85 बीएनएस व 3/4 DP एक्ट से संबंधित वांछित 02 अभियुक्त/अभियुक्ता, 01. नन्के उर्फ सुजीत सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी पूरे केशवराय गायघाट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 22 वर्ष, 02. 01 अभियुक्ता को दिनांक 30.05.2025 को थानाक्षेत्र कोतवाली नगर के ग्राम पूरे केशव राय गायघाट में अभियुक्त के घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त/ अभियुक्ता का विवरण-

01. नन्के उर्फ सुजीत सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी पूरे केशवराय गायघाट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 22 वर्ष ।

02. 01 अभियुक्ता ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 प्रदीप कुमार मय हमराह का0 अतुल सिंह व म0का0 कीर्ति सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

महिला से लॉकेट छीनकर भागने वाला शातिर 01 अभियुक्त दिलीपपुर पुलिस की गिरफ्त में – पीली धातु का लॉकेट बरामद-

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत पिपरी नहर के पास ग्राम पिपरी खालसा से किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक- 29.05.2025 को आवेदिका अपने घर से दीवानगंज बाजार दवा लेने जा रही थी । थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत रास्ते मे ताला मोड़ के पास खडी होकर सवारी का इंतजार कर रही थी । तभी शोहेल पुत्र फूल मोहम्मद नि0ग्रा0 गनईडीह थाना दिलीपपुर द्वारा आवेदिका की सोने की लाकित खींचने लगा, आवेदिका के विरोध करने पर शोहेल धक्का देकर लॉकित लेकर भाग गया। जिसके संबंध में आवेदिका द्वारा तहरीर दी गई तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 92/25 धारा 304(2) बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री शत्रुधन वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 रमिल कुमार मय हमराह का स्वामीनाथ, का0 विनोद कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना दिलीपपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 92/25 धारा 304(2) बीएनएस से संबंधित वांछित 01. मो0 सोहेल पुत्र स्व0 फूल मोहम्मद निवासी ग्राम गनईडीह थाना दिलीपपुर जनपद

प्रतापगढ उम्र करीब 27 वर्ष को 01 अदद लॉकेट पीली धातु के साथ दिनांक 30.05.2025 को थानाक्षेत्र दिलीपपुर के पिपरी नहर के पास ग्राम पिपरी खालसा से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद लॉकेट पीली धातु बरामद की गई । उक्त बरामदगी के संबंध में उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मो0 सोहेल पुत्र स्व0 फूल मोहम्मद निवासी ग्राम गनईडीह थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 27 वर्ष ।

बरामदगी- 01. 01 अदद लॉकेट पीली धातु बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 रमिल कुमार मय हमराह का स्वामीनाथ, का0 विनोद कुमार थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ ।

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मानिकपुर के उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह का0 अजीत शर्मा, का0 अनुज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर मु0नं0 1034/12 धारा 504/506/427 भादवि थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ से संबंधित वारंटी अभियुक्त राजेश कुमार पाल पुत्र रामसुमेर पाल निवासी रहमत अली का पुरवा थाना मानिकपुर, प्रतापगढ उम्र करीब 38 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- राजेश कुमार पाल पुत्र रामसुमेर पाल निवासी रहमत अली का पुरवा थाना मानिकपुर, प्रतापगढ उम्र करीब 38 वर्ष ।

पुलिस टीम- उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह का0 अजीत शर्मा, का0 अनुज कुमार थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ ।

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ

दहेज हत्या प्रकरण में नामजद 01 अभियुक्ता को कंधई पुलिस ने किया गिरफ्तार – पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में कार्रवाई-

दहेज हत्या के प्रकरण से संबंधित 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

थाना कंधई पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गुतौली नहर पुलिया के पास से किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

वादी की पुत्री के पति वहावुद्दीन पुत्र जान मो० ग्राम गुतौली थाना कन्धई प्रतापगढ़ द्वारा वादी की पुत्री से मोटरसाइकिल व दहेज की मांग कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा । दिनांक 26.05.2025 को प्रार्थी को सूचना मिली कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गई है । मौके पर पहुँचने पर मृतका के शरीर पर चोटों के निशान मिले । वादी द्वारा आरोप लगाया गया कि पुत्री के पति के परिजनों ने मिलकर मेरी बेटी की हत्या की है। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 119/25 धारा 85/80 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि० बनाम 05 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कंधई श्री गुलाब सिंह के नेतृत्व में व०उ०नि० असलम खां मय हमराह म०उ०नि० शालिनी देवी, का० विकेश मिश्रा चालक का० जगजीत सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना कंधई पर पंजीकृत मु०अ०स० 119/25 धारा 85 / 80 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि० से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त को दिनांक 30.05.2025 को थानाक्षेत्र कंधई के ग्राम गुतौली नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- 01. 01 अभियुक्त ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

व०उ०नि० असलम खां मय हमराह म०उ०नि० शालिनी देवी, का० विकेश मिश्रा चालक का० जगजीत सिंह थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ ।